



राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 23, बुधवार, शाके 1933-सितम्बर 14, 2011
Bhadra 23, Wednesday, Saka 1933-September 14, 2011

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 14, 2011

संख्या प. 2(36) विधि/2/2011:—राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 12 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध

(द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011

(2011 का अधिनियम संख्यांक 18)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 12 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हुई]

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह 31 मार्च, 2011 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. **2005 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 6 का संशोधन.**- राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 7) की धारा 6 के

विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(ग) वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए अपने कुल बकाया ऋण को सकल राज्य देशी उत्पाद के क्रमशः 39.3, 38.3, 37.3 और 36.5 प्रतिशत तक सीमित करेगी ;”।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव ।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(Group-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, September 14, 2011

No. F. 2(36) Vidhi/2/2011.—In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Rajvittiya Uttardayitva Aur Budget Prabandh (Dvitiya Sanshodhan) Adhinyam, 2011 (2011 Ka Adhinyam Sankhyank 18):-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN FISCAL RESPONSIBILITY AND
BUDGET MANAGEMENT (SECOND AMENDMENT)
ACT, 2011
(Act No. 18 of 2011)**

[Received the assent of the Governor on the 12th day of September, 2011]

An

Act

further to amend the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management (Second Amendment) Act, 2011.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 31st day of March, 2011.

2. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 7 of 2005.- For the existing clause (c) of section 6 of the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (Act No. 7 of 2005), the following shall be substituted, namely:-

“(c) restrict its total outstanding debt upto 39.3, 38.3, 37.3 and 36.5 per cent of Gross State Domestic Product for the financial year 2011-12, 2012-13, 2013-14 and 2014-15 respectively;”.

प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.